मुंगेर जिला (बिहार) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

वाणिज्य विभाग

में पी- एच- डी

उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध - सारांश

प्रारूप

वाई बी एन यूनिवर्सिटी

राजाउलातु, नामकुम, रांची

झारखंड **834010** (भारत)

सितंबर, ईयर **2020**

शोध पर्यवेक्षक
डॉ ब्रजेश कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
डीन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट

शोध प्रज्ञ
प्रीति कुमारी
नामांकन संख्या **1907011329**
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स

विषय सूची

	विषय सूची	
1.	प्रस्तावना	03
2.	साहित्य की समीक्षा	06
3.	उद्देश्य / अध्ययन की आवश्यकता	12
4.	परिकल्पना	14
5.	शोध कार्य की क्रियाविधि	18
6.	संदर्भ ग्रन्थ सूची	20

प्रस्तावना:

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आर्थिक समावेशन में सुधार करने के उद्‌देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन और सुरक्षा के लिए बैंकीय सेवाओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मुंगेर जिला बिहार राज्य में एक आर्थिक रूप से कमजोर जिला माना जाता है जिसमें आर्थिक संवर्द्धन और वित्तीय समावेशन के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस प्रस्तावना के माध्यम से, हम मुंगेर जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने का उद्‌देश्य रखते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से, हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि योजना ने कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है या नहीं। इस अध्ययन में, हम खाता खोलने की संख्या, खाताधारकों की आर्थिक पहुंच, सरकारी योजनाओं के लाभ का उपयोग, बैंकीय सेवाओं का उपयोग, और आर्थिक स्थिति में सुधार जैसे मापदंडों का उपयोग करेंगे।

इस अध्ययन का विशेष महत्व यह है कि यह सरकारी योजना के उपयोगिता और प्रभाव को समझने में मदद करेगा और साथ ही बैंकीय सेवाओं और आर्थिक समावेशन को समर्थन करने के लिए कदम उठाने में मदद करेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन के लिए अधिक उत्साह देने में मदद मिलेगी और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उचित नीतियों और योजनाओं का विकास किया जा सकेगा।

ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न:

1. मुंगेर जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं और कितनी संख्या में वर्गों के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं?

2. कमजोर वर्गों के लोगों के खाताधारकों की आर्थिक पहुंच में कैसा सुधार हुआ है, और इसका योजना के प्रभाव में क्या योगदान है?

3. सरकारी योजनाओं के तहत योजना के लाभ का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या और इसके लाभ का प्रभाव कैसे है?

4. बैंकीय सेवाओं के उपयोग की क्षमता में कितना सुधार हुआ है और कमजोर वर्गों के लोगों के बैंक खाते में बैंकिंग गतिविधियों का उपयोग कैसा है?

5. आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए कदमों का अध्ययन करें और यह देखें कि कमजोर वर्गों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है।

ध्यान देने योग्य विधि:

- इस अध्ययन में आवश्यक डेटा का संकलन किया जाएगा, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, आँकड़े, और सम्बंधित शोध प्रकाशनों का उपयोग किया जाएगा।
- विश्लेषण के लिए उपयुक्त आँकड़ों के बारे में तुलनात्मक रूप से विचार किया जाएगा।
- अध्ययन के परिणामों को व्याख्यान करने के लिए विभिन्न तकनीकियों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ, और तालिकाएं शामिल होंगी।
- अध्ययन के अंत में निष्कर्षों को निकालने के लिए विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें योजना के प्रभाव के साथ वित्तीय समावेशन के लिए उचित नीतियों और योजनाओं का विकास करने के लिए सुझाव दिया जाएगा।

यह अध्ययन नए संभावित दिशानिर्देशों और नीतियों को प्रस्तुत करेगा, जो योजना के प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और मुंगेर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समावेशन और समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा।

इन सभी वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और इसमें योगदान देने वाले मुख्य कारकों में से एक को समाज के गरीब वर्गों के गहन उत्थान के रूप में वर्णित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए संगठित करने और योजना बनाने के कई तरीके हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक 'वित्तीय समावेशन' की अवधारणा है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई थी ताकि गरीबी को कम किया जा सके और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना। यह राष्ट्रीय मिशन योजना किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है, जैसे; बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, आदि। पीएमजेडीवाई कार्यक्रम का सरल उद्देश्य अधिकांश बिना बैंक वाले लोगों, विशेष रूप से सबसे बुरी तरह प्रभावित गरीब और देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग के भीतर लाना था। प्रणाली।

समाज के कमजोर वर्गों और निम्न-आय समूहों को उन सभी वित्तीय पहलुओं तक पहुंच प्रदान करनी होगी जो उनके जीवन का उत्थान करेंगे। तकनीकी दृष्टि से इस प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। स्थानीय ग्रामीण बैंकों की शुरूआत, उनकी सभी सेवाओं के बारे में जागरूकता, कृषि क्षेत्र के लिए धन और वित्त का निर्माण, व्यापार प्रतिनिधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी पहलें वित्तीय समावेशन का हिस्सा हैं जो देश में पहले हो चुका है। ऐसा ही एक तरीका वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की योजना है। सरकार का उद्देश्य हमेशा सबसे कमजोर समूहों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाना रहा है।

आर्थिक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को अचानक आर्थिक झटकों से बचाने और इसके परिणामों का सामना करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि यह उनके विकास में बाधा न बने। ऐसी समस्याओं में वित्तीय समावेशन एक सहायता के रूप

में आता है। यह प्रक्रिया सभी तत्वों को ऊपर से नीचे तक एकीकृत करती है और काम में विभिन्न संसाधनों को एक साथ लाती है। अब तक उपलब्ध साहित्य वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालता है और सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और क्षेत्र के विकास के साथ इसके संबंध को स्थापित करता है, हालांकि बताए गए संबंधों पर अनुभवजन्य शोध बहुत कम है। प्राथमिक उपकरण जो वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हैं, बचत और लेन-देन के उद्देश्यों के लिए बैंक खाते, उत्पादक, व्यक्तिगत और अन्य उद्देश्यों के लिए कम लागत का ऋण, वित्तीय सलाहकार सेवाएं, बीमा सुविधाएं (जीवन और गैर-जीवन) आदि हैं। सरकारी योजनाओं का अंतिम उद्देश्य है आय का एक निरंतर स्रोत प्रदान करना और उन्हें वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना है ताकि समाज का हाशिए पर रहने वाला हिस्सा जीवन की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो सके। और ऐसे कारणों से वित्तीय समावेशन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार के लिए गरीब लोगों के जीवन के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल कर पाना बहुत मुश्किल रहा है।

साहित्य की समीक्षा:

नाइक, एस. (2019), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लाभ के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से, वर्ष 2014 में अगस्त के महीने में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य था वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के लिए हर घर और हर व्यक्ति को औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, सभी क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम, बीमा और पेंशन सुविधाओं के बारे में ज्ञान।

रवि, एस., और गखर, एस. (2015) पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के तहत, एक एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (एनयूयूपी) एक नंबर का उपयोग करके गरीबों के लिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है जो सभी बैंकों, सभी दूरसंचार प्रदाताओं तक पहुंच प्रदान करता है। , या इस्तेमाल किया जा रहा कोई भी मोबाइल

फोन (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), 2014)। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसका उपयोग महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं के लिए धन हस्तांतरण ने देश में गरीब परिवारों के बीच वित्तीय साधनों के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2014)।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (2020) वित्तीय समावेशन के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वंचित आबादी की उच्चतम संख्या को लक्षित करने के लिए पीएमजेडीवाई खाता खोलने को यथासंभव सरल बनाया गया है। 10 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक पीएमजेडीवाई खाता खोल सकता है और इसके एवज में रुपे कार्ड का लाभ उठा सकता है। RuPay कार्ड को महीने में चार बार इस्तेमाल करने की अनुमति है। जिनके पास पहले से ही एक सामान्य बचत बैंक खाता है, वे भी पीएमजेडीवाई योजना के तहत एक खाता खोल सकते हैं और बचत बैंक खाते में राशि को पीएमजेडीवाई खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि सभी लाभ प्राप्त किए जा सकें। इस बड़ी पहल के कारण तुलना, कार्यक्रम शुरू करने के पिछले 6 वर्षों के दौरान पीएमजेडीवाई योजना के तहत 40.35 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। लगभग 8.0 करोड़ खाताधारकों ने डीबीटी के माध्यम से सीधे अपने पीएमजेडीवाई खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त किया है।

खोसला, एस. (2017) पीएमजेडीवाई और गैर-पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच तुलना से पता चलता है कि खातों की संख्या, लेन-देन और जमा में वृद्धि के मामले में, पीएमजेडीवाई ने बाद की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। पीएमजेडीवाई खाते में, 2016-2017 के दौरान औसत शेष दोगुना हो गया और 2015-16 के दौरान 'शून्य' शेष वाले खातों की संख्या में गिरावट आई।

राजगोपालन, एस (2018) खोले गए सभी पीएमजेडीवाई खातों में से, लगभग 10 प्रतिशत नकली पाए गए या लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित खातों को जन धन खाते में परिवर्तित किया गया। यह बैंक

कर्मचारियों और नौकरशाहों पर शीर्ष पदानुक्रम के अत्यधिक दबाव के कारण हुआ कि वे अपनी साख स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक नए खाते खोलें। विश्व बैंक के अध्ययन की रिपोर्ट है कि खोले गए नए बैंक खातों में से लगभग आधे पिछले एक साल से परिचालन में नहीं थे। विश्व स्तर पर, निष्क्रिय खाते का गठन लगभग 20.0 प्रतिशत है, यानी पिछले 12 महीनों में एक भी लेनदेन के बिना खाते। भारत में दुनिया में सबसे अधिक 48.0 प्रतिशत निष्क्रिय खाते हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के औसत 25.0 प्रतिशत से लगभग दोगुना है। यहां तक कि भारत के सक्रिय खातों का भी नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें नकद लेनदेन पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

परमार, एस (2020) प्रधान मंत्री जन-धन खाते ने वर्षों से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने के लिए सुविधाकर्ता की भूमिका निभाई है। यह बड़ी चिंता का विषय है कि कुल 438 योजनाओं के माध्यम से 56 मंत्रालयों द्वारा डीबीटी के तहत भुगतान लागू किया गया है। कुल मिलाकर, जन धन योजना, न केवल औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में उभरी है, बल्कि अतीत में लीकेज की सभी संभावनाओं को दूर करते हुए अपने संबंधित खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ भी ले रही है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (2020) पीएमजेडीवाई योजना के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर पीएमजेडीवाई के नवीनतम आंकड़ों की रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया है कि 24 फरवरी, 2021 तक पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए कुल 41.93 करोड़ खातों में से 23 करोड़ खाते और 55.0 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना के तहत रिपोर्ट के अनुसार, 19.04 करोड़ रुपये की कुल राशि में से लगभग 68.0 प्रतिशत महिला उद्यमियों को इसकी स्थापना के बाद से स्वीकृत किया गया था।

ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये कर दी गई है और बिना किसी शर्त के 2000/- रुपये तक की निकासी की अनुमति है।

SAID (2019) भारत सरकार द्वारा PMJDY योजना की शुरुआत, बैंक रहित नागरिकों के एक बड़े वर्ग को खाता खोलने में सक्षम बनाना और साथ ही लाभार्थियों में आधार कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राहत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग करना प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग, बढ़ते इंटरनेट कवरेज और स्मार्टफोन की पैठ के कारण खाता संभव हो पाया है। यह रिपोर्ट सरकार, निजी क्षेत्र और विकास क्षेत्र के लिए एक समावेशी डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए संभावित रोडमैप प्रदान करने वाली कुछ उपयोगी सिफारिशों के साथ आई है। भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय कार्यक्रमों (पीएमजेडीवाई) को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए महिलाओं को सार्थक रूप से सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि घर में ज्यादातर पुरुषों की मोबाइल फोन रखने और उपयोग करने की बेहतर पहुंच है, जो महिलाओं के समावेश को पूर्वाग्रहित कर सकता है। निजी क्षेत्र को सरलीकृत ऐप, बेहतर उत्पाद डिजाइन और ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह पाया गया है कि व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे ऐप अपेक्षाकृत उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और इनका उपयोग कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

सिंह, बी.पी (2020) 2014 में पीएमजेडीवाई योजना की शुरुआत के बाद से, 2016 में, गोवा ने वित्तीय समावेशन का उच्चतम स्तर बनाए रखा और मध्यम वित्तीय समावेशन वाले राज्य 2011 में 6 से बढ़कर 2016 में सिर्फ 7 हो गए। 2011 में, का प्रभाव वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक था, जबकि 2016 में पीएमजेडीवाई के माध्यम से आर्थिक विकास पर वित्तीय समावेशन का प्रभाव नगण्य पाया गया था। PMJDY योजना एक असफल योजना बन जाती है क्योंकि देश मानव

विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और शासन प्रणाली की प्रभावशीलता को महत्व नहीं दे रहा है। इसलिए, पीएमजेडीवाई की सफलता के लिए नियामक ढांचे में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है इसलिए आर्थिक परिणाम बेहतर होंगे।

खोसला, एस (2017) 2016 में राष्ट्रीय सर्वेक्षण की खोज में पाया गया कि लगभग 33.0 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाताधारकों के पास पहले से ही एक सामान्य बचत खाता था और लगभग 28.0 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खातों का संचालन नहीं किया गया था। लाभ का हस्तांतरण हालांकि डीबीटी का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा रहा है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने भी लाभ प्राप्त करने के लिए पीएमजेडीवाई खाता खोला था। एफआईआई सर्वेक्षण (2017) से पता चला है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच निष्क्रिय खातों की उच्च दर पाई गई और उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके खाते पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के तहत खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई खाताधारकों द्वारा खाता खोलने और उपयोग की आवृत्ति के संबंध में राज्यों में बड़े क्षेत्रीय बदलाव। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवसाय प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2013-2015 की अवधि को कवर करने वाले एक अध्ययन में **गुंथर, एम. के (2017)** यानी पीएमजेडीवाई के पूर्व और बाद के वर्षों में, लेखक ने पाया कि दूरदराज के क्षेत्रों में कैंप खोलने सहित बैंकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए जीवंत प्रयासों के परिणामस्वरूप 260 मिलियन पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, जिनमें ज्यादातर पहले से बैंक से वंचित गरीब और अशिक्षित थे। 2014 में पीएमजेडीवाई कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक देखे गए ग्रामीण-शहरी और पुरुष-महिला विभाजन को कम आय वाले राज्यों में खाता खोलने की गति अधिक थी। जबकि भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताएं बनी रहती हैं, लेकिन पीएमजेडीवाई योजना की शुरुआत के बाद, कम आय वाले राज्यों में खाता स्वामित्व

में वृद्धि सबसे अधिक रही है। हालांकि खाता खोलना और संचालन काफी हद तक बचत की तीव्रता से संचालित होता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत ने भी खाता खोलने के लिए प्रेरणा में योगदान दिया।

वैष्णव, ए (2020) आरबीआई के अनुसार, बैंक रहित अधिकांश आबादी को वित्तीय सशक्तिकरण तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक व्यापक कदम के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति एक शर्त है। 1980 के दशक में, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित दुनिया भर के लगभग 35 देशों ने इस तरह की रणनीति तैयार की है। भारत में, आरबीआई ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (2019-24) तैयार की। पीएमजेडीवाई के तहत निर्धारित प्रावधानों को मजबूत करने के लिए, प्रत्येक खाताधारक को बीमा और पेंशन सेवाओं के तहत नामांकित किया जाना चाहिए। आरबीआई यह भी सिफारिश करता है कि मार्च 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक में बच्चों, उद्यमियों और वरिष्ठ नागरिकों के लक्षित वर्गों के लिए वित्तीय साक्षरता और शिक्षा के लिए विशिष्ट मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

चौधरी, ए (2017) पीएमजेडीवाई योजनाओं के तहत, पहले चरण में उद्देश्य बैंक खातों की संख्या और वित्तीय साक्षरता को जानना था जबकि विभिन्न प्रकार के बीमा, क्रेडिट लाभ गारंटी फंड और विभिन्न सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का ज्ञान था। योजना को चरण -2 में वर्गीकृत किया गया था। उस अध्ययन में पीएमजेडीवाई योजना के विभिन्न लाभों पर प्रकाश डाला गया था। इतने सारे वित्तीय उत्पाद प्रदान करके, पीएमजेडीवाई सार्वभौमिक बैंकिंग सुविधाओं के साथ "सबका साथ सबका विकास" के नारे के माध्यम से सरकार की समावेशिता में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, एक लाख तक के दुर्घटना कवर के साथ RuPay डेबिट कार्ड का प्रावधान, विभिन्न प्रकार के बीमा हर घर को सस्ती दर पर ऋण संबंधी गारंटी कोष और पेंशन संबंधी ऋण। यह गरीबों को शोषणकारी निजी धन उधारदाताओं के चंगुल से बाहर आने में काफी हद तक मदद करता है और ओवरड्राफ्ट लाभों का उपयोग करके वित्तीय संकटों को दूर करने का प्रबंधन कर सकता है।

अध्ययन की आवश्यकता:

इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च स्तर की गरीबी वाले भारत जैसे देश में वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय सरकारों द्वारा क्रमिक कार्यक्रम भारत को इस लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है और इसे लोगों को बैंकों और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अत्यधिक प्रभावी दिखाया गया है। यह देखने के लिए कि क्या कार्यक्रम का समाज पर आवश्यक प्रभाव पड़ा है, किसी को बहुत ही स्थानीय परिवारों में तल्लीन करने और यह समझने की आवश्यकता है कि ड्राइव ने क्या छाप छोड़ी है। केवल क्षेत्रीय इलाकों से ही प्रभाव का सही माप देखा जा सकता है, विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों से। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, प्रत्येक कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली होने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस शोध पत्र में जमीनी स्तर पर पीएमजेडीवाई के प्रभाव को ध्यान में रखने और यह देखने के लिए किया गया था कि क्या यह परिणाम जनसंख्या के लिए समायोजित करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण था।

अध्ययन का महत्व प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रभाव को सबसे मौलिक स्तर पर समझना और यह निर्धारित करना है कि वित्तीय समावेशन का प्राथमिक लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। पीएमजेडीवाई के प्रदर्शन और प्रभाव की बेहतर समझ न केवल वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं बल्कि नीति निर्माताओं के लिए भी सहायक होगी। जैसा कि अध्ययन ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों से प्राथमिक डेटा को ध्यान में रखा है, यह कार्यक्रम के प्रभाव पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिणाम उम्मीद के मुताबिक आया है और कुछ में यह अप्रत्याशित था। यह अध्ययन बहुत सारे शोधकर्ताओं के लिए मददगार साबित होने वाला है जो प्राथमिक डेटा का विश्लेषण चाहते हैं और विभिन्न अन्य निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए इस पर आगे काम करना चाहते हैं। अध्ययन का उपयोग आगे के शोध के लिए किया जा सकता है क्योंकि प्रश्नावली बहुत विविध थी, जिसमें उत्तर प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के प्रश्न थे जो सबसे

सटीक परिणाम देंगे। ये उत्तर किसी को भी समस्याओं, यदि कोई हो, और उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को समझने में मदद करेंगे। जैसा कि अनुसंधान योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, न केवल अनुसंधान के मूल प्रश्न पर जोर दिया गया है, बल्कि पीएमजेडीवाई खातों के समग्र कामकाज और लक्षित सामाजिक समूह द्वारा उनके उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

व्यापक मोर्चे पर, वित्तीय समावेशन पर काम किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हमेशा नीति निर्माण में सबसे आगे रखा गया है। इसलिए, प्रधान मंत्री जन धन योजना का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह उन लोगों को सुर्खियों में लाता है और इसलिए इसके प्रभाव को देखना और इसके कामकाज से सभी को अवगत कराना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि सरकार और निजी द्वारा इस तरह की और पहल की जा सके। वित्तीय समावेशन की दिशा में क्षेत्र मकसद सिर्फ प्रभाव को समझना नहीं है बल्कि यह भी सामने लाना है कि इसने इतने बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कैसे प्रभावित किया है।

यह शोध अध्ययन लाभार्थियों के दृष्टिकोण के साथ-साथ जमीनी स्तर के बैंकरों और सेवा प्रदाताओं की समझ और अपेक्षाओं को सामने लाने का भी प्रयास करता है। यह केवल उनकी राय और समझ ही है जो नीति निर्माताओं को अपने स्वयं के दृष्टिकोणों पर और सुधार करने और भविष्य में बेहतर नीतियां बनाने में मदद कर सकती है। नोट लेना और बेहतर कार्यक्रम उपलब्ध कराना नीति निर्माताओं का मकसद होता है। इस तरह का एक शोध अध्ययन लाभार्थियों के दृष्टिकोण और नीति निर्माताओं द्वारा कार्यक्रम को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव दे सकता है। तभी देश में आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बढ़ाने और परिष्कृत करने की प्रक्रिया पर काम किया जा सकता है। इससे दीर्घकाल में जीवन स्तर बेहतर होगा। प्रस्तावित अध्ययन के

निष्कर्ष न केवल परिवारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय बढ़ाने पर पीएमजेडीवाई के प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए हैं, बल्कि उन तंत्रों में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं जिनमें किफायती वित्तपोषण से गरीबों को अपने आय स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में लोगों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारकों को ध्यान में रखा गया है। विभिन्न अन्य योजनाओं की उपलब्धता, महिलाओं के लिए अतिरिक्त योजनाएँ, बैंक आने की आवृत्ति, घर से बैंक की दूरी, खातों के उपयोग की आवृत्ति, इन सभी सूचनाओं को दर्ज किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है।

उद्देश्य:

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मुंगेर जिले (बिहार) में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के उपयोग के स्तर का आकलन करना।

2. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से सीधे लाभ प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव का आकलन करना।

3. प्रतिवादी परिवारों के बीच घरेलू बचत पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव का आकलन करना।

परिकल्पना:

वर्तमान अध्ययन के लिए उत्पन्न परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं।

H1: प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन से मुंगेर जिले (बिहार) में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा बैंक खाते के उपयोग में वृद्धि का अध्ययन।

H2: प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहुंच और उपयोग से सरकार से सीधे लाभ प्राप्त करने में वृद्धि का अध्ययन।

H3: प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहुंच और उपयोग से प्रतिवादी परिवारों के बीच घरेलू बचत में सुधार का अध्ययन।

शोध कार्य की क्रियाविधि:

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। जिसे वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जायेगा, इसका अध्ययन करने के लिए विज्ञान के रूप में समझा जायेगा। शोध अध्ययन वर्तमान शोध, उद्देश्यों और अध्ययन की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगा। अनुसंधान किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को कम करता है और परिणाम में स्पष्टता लाता है और इस प्रकार अध्ययन के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायक हो जाता है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मुंगेर जिला (बिहार) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित होगा। वर्तमान अध्ययन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के उपयोग का आकलन, मूल्यांकन और माप करने के लिए आयोजित किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न माध्यमों से घरेलू बचत और समाज के कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पर इसके प्रभावों की जांच भी करेगा। जो मुंगेर जिले (बिहार) में योजनाएं से संबंधित होगा।

अनुसंधान प्रकार:

विश्लेषण का उद्देश्य अध्ययन में डेटा के सार को परिभाषित करना होगा। डेटा की प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान में चल रहे कार्य में गुणात्मक सह मात्रात्मक पहलू होंगे, लेकिन मुख्य रूप से पहलू में मात्रात्मकता होगी, क्योंकि इस विश्लेषण के अधिकांश निष्कर्ष मात्रात्मक उपायों पर केंद्रित होंगे। शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या के परिणामों पर अध्ययन किया जायेगा, जिसमें गुणात्मक विश्लेषण को भी परिभाषित किया जायेगा।

नमूना डिजाइन:

शोध कार्य के कुछ मामलों में, पूरे शोध का विश्लेषण करना लगभग असंभव होगा; इसलिए शोध नमूने का उपयोग करना ही एकमात्र विकल्प होगा। वर्तमान शोध का एक ही उद्देश्य होगा, शोध कार्य के विश्लेषण का नमूना तय करने की प्रक्रिया, प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुंगेर जिला (बिहार) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित होगा। मुंगेर जिले (बिहार) में 4 ब्लॉक (सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा) से वर्तमान अध्ययन करने के लिए नमूना 400 का चयन किया जाएगा।

आंकड़ा संग्रहण:

डेटा संग्रह अनुसंधान गतिविधियों के लिए पूर्ण और सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए स्रोतों से डेटा एकत्र करने और मापने का व्यवस्थित तरीका होगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में तथ्य संग्रह घटक शरीर और सामाजिक विज्ञान, मानविकी और निगमों पर आधारित होगा। यह शोधकर्ता और विश्लेषकों द्वारा एकत्रित की जाने वाली जानकारी पर आधारित होगा। जोकि शोध विषय वस्तु के दृष्टिकोण के विपरीत, सही और सच्चे क्रम को बनाए रखने का मूल्य उद्देश्य होगा। अनुसंधान की विश्वसनीयता को बनाए

रखने और उत्कृष्ट परिणामों और उनके निष्कर्षों को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान डेटा संग्रह आवश्यक होगा। अध्ययन के लक्ष्यों कों प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आपूर्ति डेटा संग्रह के मूल्यवान द्वारा होगा।

प्राथमिक डेटा:

प्राथमिक आँकड़े सर्वेक्षण, टिप्पणियों, साक्षात्कारों, और परीक्षणों के माध्यम से प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक डेटा विशेष निष्कर्ष हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष अध्ययन के माध्यम से एकत्र किया जायेगा।

द्वितीयक डेटा:

द्वितीयक डेटा उपयोगकर्ता के बजाय किसी ओर शोधकर्ता द्वारा एकत्र किया गया डेटा होगा। जोकि इस शोध के विश्लेषण अध्ययन से जुड़ा नहीं होगा, अतः इस शोध अध्ययन के उद्देश्य हेतु माध्यमिक (डेटा) जानकारी एकत्र की जाएगी, जोकि प्राथमिक डेटा की तुलना में आसानी से सुलभ और प्रभावी होगी।

द्वितीयक डेटा संग्रह के स्रोत इस प्रकार हैं:

- सरकारी विभाग की पत्रिकाएँ,
- संगठनात्मक रिकॉर्ड,
- पत्रिकाएं,
- जर्नल, किताबें,
- समाचार पत्र और
- वह जानकारी जो मूल रूप से अन्य शोध उद्देश्य से एकत्र की गई है।

डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीक:

आवृत्ति और अंतराल विश्लेषण के साथ, निम्नलिखित तीन प्रकार के सांख्यिकीय उपकरण अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र से एकत्र किए गए डेटा/सूचना पर लागू होंगे:

1. क्रॉस टेबुलेशन
2. प्रतिगमन विश्लेषण
3. कई-स्क्वायर और टी-टेस्ट

अध्याय:

1. **परिचय:** इस अध्याय में, मुंगेर जिले के बारे में संक्षेप में जानकारी दी जाएगी, जिसमें जिले की स्थिति, आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या, और आर्थिक समस्याओं के संक्षेप में विवरण होगा।
2. **साहित्य की समीक्षा:** इस अध्याय में सीखने और सोचने की शैली से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययन, पारिवारिक वातावरण, तनाव, समायोजन और अकादमिक उपलब्धि की समीक्षा की जाएगी, ताकि समस्या को पहले किए गए शोध कार्यों के प्रकाश में देखा जा सके और हमारे अध्ययन में सहायता मिल सके।

3. **अनुसंधान क्रियाविधि:** इस अध्याय में इस अध्ययन के लिए अपनाई गई शोध पद्धति, जनसंख्या, नमूना, चर, उपकरण और तकनीक शामिल होंगे, उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा ।

4. **अध्ययन की मेथडोलॉजी:** इस अध्याय में, अध्ययन की मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। इसमें उपयोग की गई डेटा स्रोत, डेटा संग्रह, और विश्लेषण के उपकरणों का वर्णन होगा।

5. **निष्कर्ष और सुझाव:** इस अध्याय में, अध्ययन के परिणामों के आधार पर निष्कर्षों को निकाला जाएगा और कैसे योजना को सुधारने के लिए नई नीतियों और कदमों को सुझाव दिया जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

USAID, "भारत डिजिटल वित्तीय भारत। जर्नी मैप रिपोर्ट, यूएसएआईडी, एमस्टार प्रोजेक्ट, मार्च 2019," एमस्टार, यूएसए, 2019।

खोसला, एस., "जनधन योजना की सराहनीय सफलता," 29 अगस्त 2017।

खोसला, एस।, "लाइवमिंट," जन धन योजना की सराहनीय सफलता, 29 अगस्त 2017।

गुंठर, एम.के., "भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति: सर्वेक्षण डेटा के एकाधिक तरंगों से अंतर्दृष्टि," 25 मई 2017.

चौधरी, ए।, "पीएमजेडीवाई- भारत में वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास में इसकी भूमिका का एक अध्ययन," प्रबंधन और फार्मेसी में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 6, नहीं। 5, पीपी। 14-17, मई 2017

नाइक, एस. (2019), "भारत में वित्तीय समावेशन पर प्रधानमंत्री जन-धन (पीएमजेडीवाई) का प्रभाव," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च (आईजेएसआर) आईएसएसएन:2319- 7064, वॉल्यूम। 8, नहीं। 2, पीपी. 1560-1563, 2019.

पत्र सूचना कार्यालय, "जन धन योजना की सफलता," पत्र सूचना कार्यालय, वित्त मंत्रालय, 28 अगस्त 2020।

परमार, एस, "प्रधानमंत्री जन धन योजना (वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन) - उद्देश्य, लाभ और संशोधन," 25 अप्रैल 2020।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, "www.theweek.in," 28 अगस्त 2020। http://www.theweek.in/news/biz।

रवि, एस., और गखर, एस. (2015), "एडवांसिंग फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न इन इंडिया बियॉन्ड द जन-धन योजना," ब्रूकिंग इंडिया इम्पैक्ट सीरीज़, 2015।

राजगोपालन, एस., "भारत को जन धन की जरूरत है और न सिर्फ जन धन खातों की," मिंट, 29 मई 2018।

वैष्णव, ए., “वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति,” पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, नई दिल्ली, 2020.

सिंह, बी.पी., कुमारी, ए., शर्मा, टी., और मल्होत्रा, ए., "क्या पीएमजेडीवाई योजना भारत में वित्तीय समावेशन को संवर्धित करती है? भारतीय राज्यों से साक्ष्य, "30 नवंबर 2020।